

फर्द अहकाम

न्यायालय २११-१११११
 परिधि रक्षी माल रक्षी
 संख्या ११५२ १२५-२ ७३१२०१३
 बनाम दि. १५/११/१९७३

दिनांक आशा या कार्यवाही	आशा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>जिसके उत्तर प्रकार के प्राप्ति / परिवारी संख्या १ के अर्थ हकदारी खातेदार लाल पुत्र अलेख जाति मीरा के कमीनी कपडे हिसते की शक्ति का २०११ कतुबन्ध, दि. १५/११/७३ उक्त शक्ति उपप्राप्त किसे किसे अलेख-गदी किसे लाल पुत्र अलेख के हकदारी सोसादरी को कमीनी कपडी खातेदारी अलेख का २१ की शक्ति का कतुबन्ध कतुबन्ध गदी किसे। सम्बन्ध २०११ से लेकर कपडे तक शक्ति पर लाल पुत्र अलेख तथा उसके वारिसान काम परिवारी संख्या १५५ के अलेखे वा २१ के ही इसकी शक्ति परिवारी हकदारी द्वारा मीरा को मालाम को विचार की ग दी के करीब रिपोर्ट में मीरे पर २१ की शक्ति होना तथा लाल पुत्र अलेख के वारिसान का विवरण अलेख का २१ के का उत्तरिय किसे ही परिवारी एक द्वारा दि. १५/११/७३ से शरीफा सं. १५५ का १५५ व १५६ पर शरीफा सं. के अर्थ रक्षी माल के अर्थ मीरे द्वारा माल रक्षी पर शक्ति किसे ही जिसके द्वारा पर का को विवरण गदी हुआ है वा १५२ व शक्ति २१ दि. १५/११/७३ किसे शक्ति शक्ति किसे कतुबन्ध के ही १० की की का शक्ति परिवारी करणा २ के सम्बन्ध पर की जिसके उत्तर अलेख पर शक्ति २ का है गदी ११०० कतुबन्ध की शक्ति का उत्तरिय किसे गी का अलेख गदी किसे गी का किसे शक्ति</p>	<p>१५</p>

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
		<p>मोटे लेख पर शमनाराधक पुत्र जालाराम हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 1/11 क्रमांक 11 रकम 8.66 है. से स्वीकार हुआ है इससे पश्चात् पश्चिमी नामा. $\frac{143}{21-16-76}$ द्वारा (दिनांक) की जा लागू से रकम 50 रकम 0.7872 है. की खारेजी की जा पोस्टमैजिस्ट्रेट नरेंद्र प्रसाद शर्मा को.सी 33 सरस्वती नगर अवाड़ जे.टी.ए. हिस्सा 1/4 मन्ना-देवी पुत्री जालाराम हिस्सा 1/2 शमनाराधक पुत्र अक्षय शर्मा. हिस्सा 1/4 सा. देह के नाम इससे पश्चात् नामा. क्र. $\frac{145}{9-1-18}$ द्वारा पश्चिमी रकम 50 रकम 0.7872 है. शमनाराधक पुत्र अक्षय शर्मा हिस्सा 1/4 के नामा. $\frac{146}{9-1-18}$ द्वारा पश्चिमी से रकम 50 रकम 0.7872 है मन्नादेवी पुत्री जालाराम पश्चिमी हिस्सा 1/2 क्रमांक क्रि.पु. शमनाराधक शर्मा विवासी A-14 क्रि.पु. नगर के नाम स्वीकार हुआ है इससे अन्तर्गत में मन्नादेवी मन्वर 2070-73 ग्राम पंचायत पश्चात् ए.एम. शर्मापुर नरसरी मन्वर के ल. की शमनाराधक ल. से नरसरी मन्वर मन्वर विधान. शांति मन्वर पो. न-9 की को. सि. 19-9-19 को. सि. के रकम 50 रकम 0.7872 है खारेजी की जा है जो मन्नादेवी पश्चिमी</p>	

५७
 जयपुर (विभाग)

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>1) उत्तर नूति का कोर्ट पर आवेदन पर उपरोक्त गैर हो रहा है। उत्तर नूति पर खारिज का आदेश है।</p> <p>इस प्रकार जिला जज आराम खान नम्बर 50 रजिस्ट्रार 0.7872 के कोर्ट पर खारिज का आदेश वा. 14 वरिष्ठ को कोर्ट में भी नूति का आदेश है तथा कोर्ट पर नूति वरिष्ठ में खाली है तथा खारिज का आदेश नूति के कोर्ट के उपरोक्त होना नहीं पाया गया है।</p> <p>अन्यथा कोर्ट का आदेश जिला जज नम्बर 42 का कोर्ट में नूति का आदेश है कोर्ट के जिला जज आराम खान नम्बर 42 के कोर्ट पर खारिज का आदेश वरिष्ठ को भी नूति का आदेश है तथा जिला जज आराम खान नम्बर 42 के कोर्ट पर खारिज का आदेश तथा खारिज के आदेश का आदेश है।</p> <p>ऐसी स्थिति में नम्बर 175 का कोर्ट का आदेश कोर्ट में नूति का आदेश है कोर्ट पर खारिज का आदेश नूति का आदेश है।</p> <p>अतः कोर्ट। जिला जज आराम खान कोर्ट के जिला जज आराम खान नम्बर 7 जिला जज आराम खान नम्बर 151 कोर्ट पर खारिज का आदेश है।</p> <p>कोर्ट। जिला जज आराम खान कोर्ट</p>	

57

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

राजस्थान सरकार जमिंदार बंदा - बंदा नाम - विष्णु मिश्र व कान
 तहसीलदार, तहसील समीचेर
 मुकदमा संख्या/वर्ष : प्रपत्र 175 संख्या 73/2018 : _____ / 20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>से पेश प्रमाण-पत्र काउंटे 7 दिनांक 11 सप्टेंबर चार 151 सीपीसी स्कीमार् खिसे मजिस्ट्रेट प्रार्थना (वारी) की कोर्ट के पेश दे फाईल अदालत चार 175 राजस्थान वारंटकार कालिखिपन 1955 रूप से राजस्थान 2-राजस्थान कालिखिपन 1956 की चार 90 ए (5) रवासीय खिमा जाल है प्रतापजी फौज अमार क्षेत्र दफ्तर मकर के काम हो 415 नकलीय पाखिले दफ्तर है दिनांक 20-11-19 को सरे इलाका (उत्तरांचल) के</p> <p style="text-align: center;">उप-सहायक जयपुर (विभागा)</p>	

